



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

निविदा आमंत्रण सूचना

विज्ञापित संख्या - 83/2012

इंटरमीडिएट (प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं वार्षिक/सम्पूरक), मध्यमा एवं मदरसा परीक्षा 2013 के लिए उत्तरपुस्तिकाओं के मुद्रण हेतु योग्य प्रतिष्ठित/निबंधित/अनुभवी/आई.एस.ओ. प्रमाण-पत्र प्राप्त मुद्रकों जिन्हें लोक परीक्षाओं में उत्तरपुस्तिकाओं के मुद्रण का अनुभव हो, से, मुहर बन्द लिफाफा में निविदा दिये गये Specification के अनुसार आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्र झारखण्ड अधिविद्य परिषद् कार्यालय से 10,000(दस हजार) रु. का बैंक ड्राफ्ट “झारखण्ड अधिविद्य परिषद् फण्ड” राँची के नाम से (Non refundable) जमा कर दिनांक 07.10.2012 से 19.10.2012 तक पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं।

निविदा के साथ तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग-अलग मुहर बन्द कर एक बड़े लिफाफे में रख कर मुहर बन्द कर जमा किया जा सकेगा। उन लिफाफों पर अलग-अलग “उत्तरपुस्तिकाओं के निर्माण हेतु दर” तथा “निविदा शर्तों को पूर्ति” एवं बड़े लिफाफे पर “2013 परीक्षा की उत्तरपुस्तिका के निर्माण एवं आपूर्ति हेतु निविदा” लिखा रहना चाहिए। प्राप्त निविदा/निविदायें दिनांक 20.10.2012 को अपराह्न 1:00 बजे तक परिषद् कार्यालय में एतदर्थ निर्धारित पेटिका में डाला जा सकेगा। निविदा दिनांक 20.10.2012 को 3:00 बजे क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा। जिसमें निविदा दाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

प्रथमत् निविदा शर्तों की पूर्ति हेतु सभी निविदादाताओं से प्राप्त तकनीकी बीड संबंधी लिफाफे खोले जायेंगे। तकनीकी बीड के आधार पर सफल निविदादाताओं के ही वित्तीय बीड के लिफाफे खोले जायेंगे।

कार्यों का ब्योरा एवं शर्तें निविदा प्रपत्र (तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड) के साथ संलग्न है। उत्तरपुस्तिकाओं का नमूना परिषद् कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि में देखा जा सकता है।

परिषद् के अध्यक्ष को बिना कारण बताए निविदा रद्द करने या एक से अधिक निविदादाताओं के बीच कार्य वितरण करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

नोट:- निविदा प्रपत्र को परिषद् के वेबसाइट www.jac.nic.in से भी डाउनलोड कर निविदा डाला जा सकता है। किन्तु ऐसे मामलों में निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य रु.10,000/- (दस हजार रु.) का बैंक ड्राफ्ट “झारखण्ड अधिविद्य परिषद् फण्ड” राँची के नाम से (Non refundable) जमा करना अनिवार्य होगा।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-

(सुदीप कुमार राय)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/भंडार/19891/2012- SECY/482/12

Dt. 06.10.2012

D.O.P : 08.10.2012